





फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
श्रीमती लक्ष्मी देवी बनाम जगदीश कर्ण

किस्म मुकदमा प्र.प.प. घा.स. 111-128 R-T-A नं. 270 सन 2025

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
4-8-25	बाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 16-9-25 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
16/9/25	उपपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। पत्रावली दिनांक 7-10-25 को पेश हो।  रीडर उपखण्ड अधिकारी, माण्डल	
7-10-25	उपपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। पत्रावली दिनांक 30-10-25 को पेश हो।  रीडर उपखण्ड अधिकारी, माण्डल	
30/10/25	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया अनुपस्थित, प्रार्थिया एवं प्रार्थिया के अधिकारता को क्रम-क्रम कर तीन बार आवाजे जिलामी आने के बाद भी उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थिया के अनुपस्थित रहने से प्रार्थिया का प्रा-पत्र अदालत हाजरी। क्रम पत्रों में स्वारीय किया जाता है पत्रावली के क्रम धुमार होकर नम्बर से कम है। 	
	उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा	